खण्ड – 6 संख्या – 18

एकादश

बिहार विधान-सभा वाद्-वृत्त

कार्यवाही प्रश्नोत्तर सहित

भाग - 1

दिन वृहस्पतिवार, तिथि 18 जुलाई, 1996 ई०.

विषय-सूची

प्रश्नों के लिखित उत्तर :-

प्रश्नों के मौखिक उत्तर :-

अल्प सूचित प्रश्नोत्तर संख्या :- 9 एवं 76

तारांकित प्रश्नोत्तर संख्या :- 1154, 1160, 1162, 1167, 1171, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180 एवं 2181

परिशिष्ट :- (प्रश्नों के लिखित उत्तर)

दैनिक निबंध

टिप्पणी :- कोई भी मा० मंत्रीयों अथवा मा० सदस्यों ने अपना भाषण संशोधित नहीं किया है।

पर्षद और दूसरा विश्वास बोर्ड। दोनों आज काम कर रहा है। इसलिए मैने बतलाया कि नीतिगत फैसला कर लिया गया है कि जल पर्षद ही सारा काम को करेगा और पटना जल पर्षद स्वत: बिहार राज्य जल पर्षद में विलिन हो जायेगा।

श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, पटना में जलापूत्रि के लिए 74 बोरिंग है।

अध्यक्ष : आपने पूछा कि कब तक होगा तो उन्होंने कह दियाहै कि शीघ्र होगा, अब आप बैठिये।

श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, जो जलापूर्ति से। व्यवस्था है, पटना के लोगों को गंदे पानी की आपूर्ति की जा रही हैं पटना नगर निगम के पास 30 क्लोरेनेटर मशीन है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगाकि उस तीस क्लोरेनेटर मशीन का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा है और पटना के लोगों को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया जा रहा है।

अध्यक्ष : आप बैठिये ना, आपका हो गया। माननीय मंत्री अल्प-सूचित प्रश्न संख्या 77 का जवाब दें।

श्री नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, अभी हमने दो ही पूरक पूछा है, तीन पूछने का हमको अधिकार है।

अध्यक्ष : हमने आगे पुकार लिया है, अब आप बैठिये।

अल्प सूचित प्रश्न संख्या 77

श्री रघुनाथ झा: इसको वित्त वाणिजय को हस्तान्तरित कर दिया गया है।

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न लिये जायेगे।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जमीन पर कब्जा दिलाने की व्यवस्था

1154. श्री सघनु भगत : क्या मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि –

1. क्या यह बात सही है कि जिला लोहरदग्गा के अंचल लोहरदग्गा अनतर्गत ग्राम हरमू थाना लोहरदग्गा थाना नं०-196 कि श्री पाही उरांव, बन्दे उरांव, सुका उरांव, संतोष उरांव और बुन्दु उरांव केनाम नींज ग्राम के खात नं०56 में से क्रमशः प्लॉट न०1115 रकबा 65 डी, प्लांट नं०1050/2 रकबा 88 डी प्लॉट नं० 1175 रकबा 68 डी०. 1115/2 रकबा 65 डी प्लॉट न०1265 रकबा 71 डी सिंलिग की जमीन का बन्दोबस्त 1993 में किया गया है?

2. क्या यह बात सही है कि उपरोक्त रैयतों का नाम भू-राजस्व तालिका के तहत् इनके नाम बन्दोबस्त जमीन की मालगुजारी मुकर्रर किया गया है?

3. क्या यह बात सही है कि इन आदिवासी किसानों को अभीं तक जमीन पर मालिकाना दखल नहीं दिया गया है और उपज की अधबटाई अभी भी पूर्व भूमि मालिक लेता है?

4. यदि उपर्युक्त खण्डो के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार इन रैयतों के नाम मालगुजारी रसीद देकर जमीन पर कब्जा दिलाने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कंबतक, नहीं, तो क्यों?

(माननीय सदस्य श्री राधाकृष्ण किशोर के अनुरोध पर अध्यक्ष महोदय ने पूछने की अनुमति दी।)

श्री इन्दर सिंह नामधारी : महोदय, खंड (1) उत्तर स्वीकारात्मक है।

खंड (2) उत्तर स्वीकारात्मक है।

खंड (3) वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिलाया जा सकता है क्योंकि उक्त भूमि के सम्बन्ध में आयुक्त, दक्षिण छोटानागपुर, रांची प्रमण्डल के न्यायालय में अपील दायर की गयी है जिसमें न्यायालय द्वारा वस्तुस्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है।

खंड (4) प्रमण्डलीय आयुक्त न्यायालय में दायर अपील पर न्यायालय के फैसले के आलोक में कार्रवाई की जायेगी।

श्री उपेन्द्र नाथ दास : अध्यक्ष महोदय, मैं एक पूरक पूछना चाहताहूं

अध्यक्ष : अब क्या उठेगा, माननीय मंत्री ने कह दिया है कि मामला न्यायालय में है, अभी आप बैठिये।

नया पाईप लगाने की व्यवस्था

1160. श्री राजो सिंह : क्या मंत्री, नगर विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि -

1. क्या यह बात सही है कि पेय जलापूर्त्ति पाईप के फटे रहने केकारण ललित भवन ओर पब्लिक सर्विस कमीशन कार्यालय के बीच बेली रोड, पटना के बीच सड़क पर विगत पाँच वर्षों से एक तालाब का दृश्य है?

2. क्या यह बात सही है कि उक्त फटे पाईप की मरम्मति हर साल की जाती है, परन्तु पाईप एक दिने के लिए भी ठीक नहीं रह पाता है?

3. क्या यह बात सही है कि वहाँ बेली रोड की स्थिति जर्जर हो चुकी